रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अगस्त, 14, 2014/श्रावण 23, 1936
No. 426] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2014/SHRAVANA 23, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 590(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 और धारा 191 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 में

(1) नियम 3 के उपनियम (6) में, "जो भारत में होगा," शब्दों व अल्पविराम का लोप किया जाएगा।

(2) नियम 4 में,

(क) उपनियम (1) में "(1) वीडियों" कोष्ठक संख्या और शब्द के स्थान पर, "वीडियों" शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (iv) में, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

"वित्तीय विवरणी जिसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणी भी हैं, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी, के विचार के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकें; और"

(3) नियम 15 के उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) धारा 188 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के प्रयोजन के लिए, किसी विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, कंपनी कोई संव्यवहार नहीं करेगी जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व संव्यवहारों के साथ या तो वैयक्तिक या उसके साथ संव्यवहार किया गया हो, –

(क) धारा 188 की उपधारा (1) के खंडों (क) से (ड.) के संबंध में, नीचे यथाउल्लिखित के अनुसार मानकों के साथ संविदाओं या करारों के रूप में हो -

(i) धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ड.) में यथाउल्लिखित, कंपनी का व्यापारावर्त के दस प्रतिशत अथवा एक सौ करोड़ रुपए, जो भी कम हो, से अधिक की किसी वस्तु या सामग्री की प्रत्यक्ष या अभिकर्ता की नियुक्ति के माध्यम से बिक्रय, क्रय अथवा प्रदाय करना;

(ii) धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ड.) में यथाउल्लिखित, कंपनी के निवल मूल्य के दस प्रतिशत अथवा एक सौ करोड़ रुपए, जो भी कम हो, से अधिक की किसी प्रकार की संपत्ति की प्रत्यक्ष या अभिकर्ता की नियुक्ति के माध्यम से निपटान या क्रय करना;

(iii) धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथाउल्लिखित कंपनी के निवल मूल्य के दस प्रतिशत या कंपनी के व्यापारावर्त के दस प्रतिशत या एक सौ करोड़ रुपए, जो भी कम हो, से अधिक की किसी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;

(iv) धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथाउल्लिखित कंपनी के वार्षिक व्यापारावर्त के दस प्रतिशत अथवा पचास करोड़ रुपए, जो भी कम हो, से अधिक की कोई सेवा, प्रत्यक्ष या अभिकर्ता की नियुक्ति के माध्यम से लेना या प्रदान करना;

स्पष्टीकरण.- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपखंड (i) से उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट सीमाएं किसी वित्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले संव्यवहार अथवा संव्यवहारों पर वैयक्तिक रूप में अथवा पिछले संव्यवहार के साथ लागू होंगे।

(ख) धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (च) में यथाउल्लिखित दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक के मासिक पारिश्रमिक पर कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी में किसी पद अथवा लाभ के स्थान पर नियुक्ति; अथवा

(ग) धारा 188 की उपधारा (1) के खंड (छ) में यथाउल्लिखित कंपनी के निवल मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक की किसी प्रतिभूति अथवा व्युत्पन्नों के अभिदान के हामीदारी के लिए पारिश्रमिक।

स्पष्टीकरण – (1) उपर्युक्त उपनियमों में उल्लिखित व्यापारावर्त या निवल मूल्य की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी के आधार पर की जाएगी।

(2) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी की दशा में, नियंत्री कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी और नियंत्री कंपनी के बीच संव्यवहार के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा।

(3) धारा 101 के अनुसरण में आयोजित साधारण बैठक की सूचना के साथ संलग्न किए जाने वाले स्पष्टीकरण विवरण में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :-

(क) संबंधित पक्ष का नाम;

(ख) निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, जो संबंधित है, यदि कोई हो, का नाम;

(ग) संबंध की प्रकृति;

(घ) संविदा या करार की प्रकृति, सारत: शर्तें, धनीय मूल्य और अन्य विष्टियां;

(ड.) प्रस्तावित संकल्प पर किसी विनिश्चिय को लेने के लिए सदस्यों के लिए कोई अन्य संगत या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।"

[फा.सं.1/32/2013-सीएल-V-पार्ट]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, संख्या सा.का.नि.240(अ.) तारीख 31.03.2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.398(अ.) तारीख 12.06.2014 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

G.S.R. 590(E).—In exercise of the powers conferred under sections 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 and section 191 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Second Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, -

(1) in rule 3, in sub-rule (6), the words and commas ",which shall be in India," shall be omitted.

(2) in rule 4,—

(a) in sub-rule (1), for the brackets, figure and word "(1) The", the word "The" shall be substituted;

(b) in clause (iv), for the words "consideration of accounts", the words "consideration of financial statement including consolidated financial statement, if any, to be approved by the Board under sub-section (1) of section 134 of the Act" shall be substituted.

(3) in rule 15, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) For the purposes of first proviso to sub-section (1) of section 188, except with the prior approval of the company by a special resolution, a company shall not enter into a transaction or transactions, where the transaction or transactions to be entered into,—

(a) as contracts or arrangements with respect to clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 188, with criteria as mentioned below -

(i) sale, purchase or supply of any goods or materials, directly or through appointment of agent, exceeding ten per cent. of the turnover of the company or rupees one hundred crore, whichever is lower, as mentioned in clause (a) and clause (e) respectively of sub-section (1) of section 188;

(ii) selling or otherwise disposing of or buying property of any kind, directly or through appointment of agent, exceeding ten per cent. of net worth of the company or rupees one hundred crore, whichever is lower, as mentioned in clause (b) and clause (e) respectively of sub-section (1) of section 188;

(iii) leasing of property of any kind exceeding ten per cent. of the net worth of the company or ten per cent. of turnover of the company or rupees one hundred crore, whichever is lower, as mentioned in clause (c) of sub-section (1) of section 188;

IndiaCode

(iv) availing or rendering of any services, directly or through appointment of agent, exceeding ten per cent. of the turnover of the company or rupees fifty crore, whichever is lower, as mentioned in clause (d) and clause (e) respectively of sub-section (1) of section 188:

Explanation.—It is hereby clarified that the limits specified in sub-clauses (i) to (iv) shall apply for transaction or transactions to be entered into either individually or taken together with the previous transactions during a financial year.

(b) is for appointment to any office or place of profit in the company, its subsidiary company or associate company at a monthly remuneration exceeding two and half lakh rupees as mentioned in clause (f) of sub-section (1) of section 188; or

(c) is for remuneration for underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof, of the company exceeding one per cent. of the net worth as mentioned in clause (g) of sub-section (1) of section 188.

Explanation.- (1) The Turnover or Net Worth referred in the above sub-rules shall be computed on the basis of the Audited Financial Statement of the preceding Financial year.

(2) In case of a wholly owned subsidiary, the special resolution passed by the holding company shall be sufficient for the purpose of entering into the transactions between the wholly owned subsidiary and the holding company.

(3) The explanatory statement to be annexed to the notice of a general meeting convened pursuant to section 101 shall contain the following particulars, namely:—

(a) name of the related party ;
(b) name of the director or key managerial personnel who is related, if any;
(c) nature of relationship;
(d) nature, material terms, monetary value and particulars of the contract or arrangement;
(e) any other information relevant or important for the members to take a decision on the proposed resolution."

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 240(E), dated 31.03.2014 and was amended vide notification number G.S.R. 398(E), dated 12.06.2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.